न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—243 / 2023 / 75 एल.आर.एक्ट (2023 / 243)

1. श्री राधाकिशन पुत्र श्री तेजू, जाति जाट
2. श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री उगमा, जाति दरोगा
3. श्री सोहन पुत्र छीतर जाति दरोगा
4. श्री प्रभू पुत्र श्री बाला, जाति गुर्जर
5. श्री रंगलाल पुत्र श्री नाथू, जाति जाट
6. श्री रामकरण पुत्र श्री भीया, जाति बैरवा
   समस्त निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण जाति चमार
2. श्रीमती मंजू पत्नी श्री सत्यनारायण जाति चमार
3. श्रीमती हीरकी पत्नी श्री लाला जाति भील
4. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री सुवा जाति रेगर
   समस्त निवासीगण ग्राम अमरगढ तहसील भिनाय जिला अजमेर।
5. उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी केकडी।
6. तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, आदेश दिनांक 23.03.2001 उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील।

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 राजावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुनील कडवासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
4. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6

निर्णय

दिनांकः—13.05.2026

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, केकडी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.03.2001 से विवादित आराजीयात का कनवर्जन आदेश पारित किया गया। अपील उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2001 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. आवंटन आदेश का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को एकपक्षीय एवं विधि–विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 23.03.2001 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.06.2023 को हुई, जब अप्रार्थी सं. 01 से 03 द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल कर अविधिक एवं अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण एवं अतिचार किये जाने का प्रयास किया गया, जिन्हें प्रार्थीगण द्वारा रोका गया, तो प्रार्थीगण को झूठे अनुसूचित जाति–जनजाति के मुकदमे में फंसाये जाने की ऐलानिया धमकी दी गई, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तहसील एवं उपखण्ड कार्यालय में सम्पर्क कर सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 03.07.2023 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 03.07.2023 को ही प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हो जाने पर फीस एवं खर्च की व्यवस्था कर विधिक राय लेते हुए जानकारी की तिथि एवं प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने की तिथि से मूल अपील समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हुई देरी का उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित भूमियां प्रार्थीगण के पैतृक रेकॉर्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है, जिस पर प्रार्थीगण आज दिवस तक काबिज काश्त चले आ रहे है, जिन पर अप्रार्थी सं. 01 लगायत 04 एवं उनके प्रतिनिधि इत्यादि का कभी भी किसी प्रकार से वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य एवं कब्जा–काश्त विद्यमान नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकार व आधिपत्य का हनन होगा, जो न्याय की कतई मन्शा नहीं है। मूल अपील में वर्णित विधिक आधारों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के तहत प्रकरण गुणावगुण पर सुदृढ होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर न्याय निर्णित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है, जिस हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को आवंटन आदेश की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, केकडी द्वारा कैम्प अमरगढ में आवंटन आदेश दिनांक 23.03.2001 को पारित किए गए। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन ओदश की अपील हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.07.2023 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील हाजा न्यायालय के समक्ष लगभग 22 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है कि किस कारण उनके द्वारा इतनी भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि मियाद अवधि में प्रत्येक दिन का कारण न्यायालय को स्पष्ट रूप से बताया जाना अनिवार्य है, परंतु अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मात्र यह बताया गया है कि उनको सर्वप्रथम आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 30.06.2023 को हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध **सुपुर्दगीनामा** दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.03.2001 को पारित आवंटन आदेश के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 01.05.2001 को पटवारी हल्का द्वारा रामप्रसाद पुत्र सुवा कौम रेगर, लादू पुत्र भूरा, सत्यनारायण पुत्र कल्याण, मंजू पत्नि सत्यनारायण, रामकरण पुत्र भूरा, श्रीमती उगमी पत्नि रामकरण, रामदेव पुत्र जीवण, कमला पत्नि रामदेव, लाला पुत्र हजारी व हीरकी पत्नी लाला कौम भील को अन्य मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष उपरोक्त आवंटियों को कब्जा संभलाया गया।

इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जब आवंटन आदेश पारित किया गया तो उसके क्रम में पटवारी हल्का द्वारा सभी आवंटियों को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया, जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल कर अतिचार किया गया। अतः इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त आवंटन आदेश की बखूबी रूप से जानकारी थी।

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विलंब के एक एक दिन का विवरण व कारण न्यायालय को अपील के माध्यम से बताना अनिवार्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बिना किसी स्पष्ट कारणों के अभाव के प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय है कि पक्षकार न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपना उपचार मांगे इसका

दुरूपयोग नहीं करे। परंतु उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा परिसीमा नियमों का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरएलडब्ल्यू 2016 पार्ट–1 रेवे0पेज 695 में कहा गया है कि किसी परिसीमा अवधि की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं की इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। विधि की अवधारणा तर्क संगत अवधि होनी चाहिए प्रार्थी द्वारा लंबे अंतराल के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है।**

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत ऐसे कोई पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे न्यायालय हाजा संतुष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा बताए गए कारण सदभाविक है व प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी इतनी लंबी अवधि पश्चात भी नहीं हो सकी। जिससे न्यायालय हाजा पूर्ण रूप से सहमत हो सके। परंतु उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो कारण अंकित किए गए है व केवल मात्र प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन आदेश बाबत उनकी ओर से मनगढत व जानबूझकर अंकित किए गए कारण प्रतीत होते है। जिनसे न्यायायल हाजा किसी प्रकार से उक्त मियाद अवधि को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2007(2) आरआरटी 788

(हाई कोर्ट)

परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5–सिविल प्रक्रिया, 1908*–धारा 100 विलंब का उपशमन अपील पेश करने में विलंब जानकारी की दिनांक से अपील पेश की–अपील तुरंत पेश न करने हेतु स्पष्टीकरण नहीं–निर्णित, अपील कालबाधित है एवं खारिज की।*

RRD SEPTEMBER, 2000 PAGE 421

Limitation act, 1963-sec.5- *In application u/s 5,Limitation act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge- order of R.A.A not condoning delay, held justified.*

प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्णरूप से चस्पा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

7. अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर